

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 8(1)वित्त/कर/2025

जयपुर, दिनांक: 22 JAN 2025


आदेश

श्री प्रदीप कुमार यादव, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-शाहजंहापुर, जोन-भिवाडी द्वारा समय पर पोर्टल द्वारा जारी DRC-01C पर विधि सम्मत कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण हुई राजस्व हानि के संबंध में इनके विरुद्ध विभागीय जांच अपेक्षित है।

अतः श्री प्रदीप कुमार यादव, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-शाहजंहापुर, जोन-भिवाडी को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किये जाने के आदेश एतद्वारा जारी किये जाते हैं।


श्री प्रदीप कुमार यादव, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-शाहजंहापुर, जोन-भिवाडी का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

आज्ञा से,


(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (कराधान)।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उक्त आदेश की पुष्टि हेतु।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री प्रदीप कुमार यादव, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-शाहजंहापुर, जोन-भिवाडी को सुपुर्द करवाकर प्राप्ति रसीद 7 दिवस में इस विभाग को भिजवाये जाने का श्रम करावें। श्री प्रदीप कुमार यादव को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश दें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़ें। साथ ही श्री प्रदीप कुमार यादव को निलम्बन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. श्री प्रदीप कुमार यादव, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-शाहजंहापुर, जोन-भिवाडी को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़े।
6. कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग।
7. कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग।
8. कोषाधिकारी, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव